(1)

# कार्यालय अंचल अधिकारी, टाटीझरिया।

वाद का प्रकार :- विविध वाद

वाद सं0-.....01..../25-26

आवेदक- प्रभु यादव

पिता-स्व0 जगदीश यादव

ग्राम- भराजो

15/5/25

यह वाद आवेदक प्रभु यादव पिता- स्व0 जगदीश यादव ग्राम- भराजो थाना- टाटीझरिया के आवेदन के संदर्भ में प्रारंभ किया गया है। आवेदक ने आवेदन में उल्लेखित किया है कि उनके दादा बैजन गोप के नाम से 1958-59 में निबंधन संख्या 6290 से संबंधित दाखिल-खारिज में पंजी-II के पेज नं0 149/1, खाता नं0 44/3 में बैजनाथ पिता- बुधु गोप दर्ज है, जिसे शुद्ध करने हेतु अनुरोध किया गया है।

संबंधित रा0 उ0 नि0/प्र0 अं0 नि0 से प्रतिवेदन प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक ....30/5/25....को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

15/5/25
अंचल अधिकारी,
टाटीझरिया

15/5/25
अंचल अधिकारी,
टाटीझरिया

30/5/25
05/6/25

अभिलेख उपस्थापित।

रा0 उ0 नि0/प्र0 अं0 नि0 के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा संलग्न केवाला का छायाप्रति एवं राजस्व पंजी-II से मिलान करने पर पाया कि केवाला बैजन गोप पिता- बुधू गोप के नाम से है परंतु राजस्व पंजी-II बैजनाथ गोप पिता- बुधन गोप एवं तेतरी देवी, गुलबी के नाम से जमांबदी दर्ज है। केवाला में

(2)

खाता सं0 44 रकवा 20डी0 दर्ज है परंतु राजस्व पंजी में खाता सं0 44/3 दर्ज है तथा रकवा पूर्व में 30 डी0 बाद में काट कर रकवा 20 डी0 दर्ज किया गया है। राजस्व पंजी एवं केवाला में नाम में भिन्नता पाया गया है। इसलिए संबंधित रा0 उ0 नि0 एवं प्र0 अं0 नि0 द्वारा प्रभु यादव पिता– स्व0 जगदीश यादव, कृष्णा यादव पिता– स्व0 जगलाल यादव कौशल्या देवी वगैरह ग्राम– भराजो, टाटीझरिया को नोटिस देकर राजस्व कागजात की मांग करने के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया है।

चूँकि मामला अपलेखन (Overwriting) एवं नाम में भिन्नता से संबंधित है। अतः सभी संबंधित रैयतों को नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजात की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 20/6/25 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित।

05/06/25
अंचल अधिकारी,
टाटीझरिया

05/06/25
अंचल अधिकारी,
टाटीझरिया

20/06/2025

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामीला प्रतिवेदन प्राप्त। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षकार उपस्थित हुए। [सुनवाई के दरम्यान पक्षकारों द्वारा बताया गया कि उक्त से संबंधित मामला न्यायालय में चल रहा है हालांकि इससे संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

चूंकि मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।]

लेखापित एवं संशोधित।

20/06/25
अंचल अधिकारी,
टाटीझरिया

20/06/25
अंचल अधिकारी,
टाटीझरिया

Digitally signed by NEELU TUDU
Date: 2025.07.25 16:23:17 +05:30
Location: 10.93.149.131